ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा है कि वे चुने हुए क्षेत्रों में जहां यह सुविधा कम है/नहीं है, अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोलें । उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि उचित दर की दुकानें इस तरीके से खोली जाएं कि लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों से अपनी आपूर्ति लेने के लिए लम्बी दूरी तय न करनी पड़े । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आंतरिक वितरण जिसमें अन्तर-जिला, अन्तर क्षेत्र शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों हेतु आवंटन शामिल है, राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है । चुने क्षेत्रों में 9159 अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोली गई हैं ।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है । राज्य प्रशासन के अधिकारी अनुचित व्यापारिक पद्धतियों को नियंत्रित करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को खुले बाजार में भेजे जाने से रोकने/पता लगाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति तथा उपलब्धता पर नजर रखने हेतु उचित दर की दुकानों की विकसित रूप से जांच करते हैं तथा उनका दौरा करते हैं । राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबन्ध के एक अंग के रूप में विभिन्न स्तरों पर आपूर्ति तथा उपलब्धता की नियमित रूप से परिवीक्षा की जाती है । राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना भी नियमित रूप से दी जाती है ।

(घ) उचित दर की दुकानें विशिष्ट रूप से जवाहर योजना के लिए नहीं खोली जाती हैं । लेकिन केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अनुदेश दिए हैं कि उन सभी ब्लाकों में जहां संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जा रही है, वहां जवाहर रोजगार योजना के तहत आंशिक मजदूरी के रूप में खाद्यान्न का वितरण केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के जरिए किया जाए ।

Demand for various commodities

1469. SHRI DEBABRATA BISWAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the demand for various commodities received from the State Governments during the last 12 months; and

(b) the commodities provided to them during the same period monthwise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Promotion of employees in stenographic service

1470. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Deptt. of Personnel and Training has received a number of cases for clarification from different Ministries/Deptts./Statutory/Autonomous Bodies since Ist March, 1992 regarding restoration of inter-se seniority of their employees of General Category vis-a-vis S.C. & S.T. Category due to wrong application/interpretation/ implementation of Reservation Rules while promoting their employees in Stenographic Service;

(b) if so, the number of such cases from different Organisations;

(c) whether it is a fact that the Deptt. of Personnel and Training has not clarified the points raised in cases referred to it; and

(d) if so, what steps are being taken to expedite such cases?